क.

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी

वी.

केरल राज्य और ए. एन. आर.

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 836-41)

17 मार्च, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-समन जारी करना-की वैधता-अपीलकर्ता-आर्कबिशप और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 406,409,418,420,423,465,467,468 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराध करने के लिए एक शिकायत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर चर्च से संबंधित कुछ अचल संपत्ति का धोखाधड़ी से निपटान किया था-शिकायतकर्ता द्वारा दायर पहली शिकायत को मरादु की अदालत ने 30.09.2021 पर खारिज कर दिया था क्योंकि शिकायतकर्ता के वकील उसी तथ्यों के सेट पर एक अन्य शिकायत में उपस्थित नहीं हुए थे, निचली अदालत (के.203 यू/एस. एस. अपराधों के संबंध में Cr.P.C.409, 418, 420, 465, 467 और आई. पी. सी. की धारा 468 ने हालांकि अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को यू/एस. एस. के तहत अपराधों के लिए समन जारी किया।120-बी, 406,423 आर/डब्ल्यू एस।34 आई. पी. सी.-अपीलार्थी ने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका भी खारिज कर दी गई-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उन्हीं तथ्यों पर पहले की शिकायत को खारिज करने के बाद तत्काल शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं थी-अभिनिर्धारित किया गयाःतत्काल शिकायत मामलों में कक्कनाड की निचली अदालत ने, पिछली शिकायत को खारिज करने से पहले, अपीलार्थी और अन्य लोगों को समन जारी करके पहले ही संज्ञान ले लिया था-यह सच है कि शिकायतकर्ता को तत्काल शिकायत में, विशेष रूप से अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ उसके द्वारा दायर पिछली शिकायत के संबंध में पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए था, लेकिन केवल ऐसे तथ्यों का खुलासा न करना, निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने का आधार नहीं होगा, जो अपना दिमाग लगाने के बाद और कथित अपराधों के आयोग के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट था।120 बी, 406 और 423 आर/डब्ल्यू। 34 आई. पी. सी. ने समन जारी किया था-नीचे दिए गए तीनों न्यायालयों ने कथित मामले में अपीलार्थी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता के बारे में विस्तार से चर्चा की है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य।

अपराध, और विचाराधीन शिकायतों के अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ समन जारी करने वाले निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 482-न्यायिक समीक्षा के तहत शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध-आयोजितः न्यायिक संयम एक सद्गुण है, और व्यक्तिगत न्यायाधीशों की प्राथमिकताओं को, चाहे उनका इरादा कितना भी अच्छा हो, कानून के समान अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-अनुचित न्यायिक सक्रियता न केवल अधिकारियों के मन में बल्कि वादियों के मन में भी अनिश्चितता या भ्रम पैदा कर सकती है।

ग

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** प्रमथ नाथ तालुका बनाम सरोज के मामले में

रंजन सरकार, दूसरी शिकायत दर्ज करने के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **203** के तहत पिछली शिकायत को खारिज करने के बाद एक नई शिकायत पर विचार किया जा सकता है जब स्पष्ट त्रुटि या न्याय का स्पष्ट गर्भपात या जब नया सबूत सामने आ रहा हो।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **203** के तहत बर्खास्तगी का आदेश समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, जैसे कि पिछला आदेश एक अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां पिछले कार्यवाहियों में नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ दर्ज नहीं किए जा सकते थे, दर्ज किए गए हैं।उक्त कानूनी स्थिति और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायतों पर विचार करने में कोई त्रुटि की थी, जब उसके द्वारा दायर पिछली शिकायत दूसरी अदालत के समक्ष लंबित थी, और विशेष रूप से जब उक्त अदालत ने कथित अपराधों का संज्ञान लिए बिना गैर-अभियोजन के लिए उक्त पिछली शिकायत को खारिज कर दिया था।**[**पैरा **14** और **15] [1028-**डी-एफ**; 1030-**डी-ई**]**

डी.

ई.

च

जी.

2. सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं में मुकदमे द्वारा पारित उक्त आदेशों को भी बरकरार रखा था

एच.

क.

अदालत अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद समन जारी करती है, जिसमें कथित अपराधों के तत्व भी शामिल हैं जिनके लिए अपीलार्थी के खिलाफ समन जारी किए गए थे।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में **Cr.P.C** की धारा **482** के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाओं में पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर भी विस्तार से चर्चा की है और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है।कथित अपराधों में अपीलार्थी की कथित संलिप्तता के संबंध में नीचे दिए गए तीन न्यायालयों द्वारा की गई उक्त टिप्पणियों और प्रथम दृष्टया दर्ज किए गए निष्कर्षों को

देखते हुए, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।[पैरा **17] [1031-**ए-सी]**3.** इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर मामला है और इसलिए अभियुक्त को समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट शिकायत में लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए बाध्य है ताकि उसमें अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति को किसी भी तुच्छ शिकायत का सामना करने के लिए बुलाए जाने से रोका जा सके, फिर भी धारा **202** का एक उद्देश्य मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना है जिसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।जिस तरह निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ परेशान करने वाली और तुच्छ शिकायतों पर अंकुश लगाना आवश्यक है, उसी तरह निष्पक्ष सुनवाई करने के बाद दोषियों को दंडित करना भी उतना ही आवश्यक है।तत्काल मामलों में, नीचे दिए गए तीनों न्यायालयों ने कथित अपराधों में अपीलार्थी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और इसलिए इस न्यायालय के लिए इसे दोहराना आवश्यक नहीं है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विचाराधीन शिकायतों के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी-आर्कबिशप के खिलाफ समन जारी करने वाले निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।[पैरा **18] [1031-**सी-एफ]

ग

डी.

ई.

च

4. उच्च न्यायालय ने अपने अति उत्साही दृष्टिकोण में न केवल भारत के संविधान की धारा **482** और अनुच्छेद **226** के दायरे और दायरे से परे यात्रा की थी, बल्कि वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने की आड़ में ऐसे आदेश पारित करके न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम की सभी सीमाओं को पार कर दिया था।पर्याप्त न्याय करने के लिए न्यायशास्त्र के उत्साह और विवेक को ए के भीतर अदालतों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

1017

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य।

अनुमेय सीमाएँ।न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की आत्म-धार्मिकता या धृष्टता के विश्वास से अन्य प्राधिकरणों को अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने से डरना नहीं चाहिए।न्यायालय को उच्च न्यायालयों को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि न्यायिक संयम एक सद्गुण है, और व्यक्तिगत न्यायाधीशों की प्राथमिकताओं को, चाहे उनका इरादा कितना भी अच्छा हो, कानून के समान अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अनुचित न्यायिक सक्रियता न केवल अधिकारियों के मन में बल्कि वादियों के मन में भी अनिश्चितता या भ्रम पैदा कर सकती है।[पारस **28** और **29] [1036-**ए-डी]

ग

एस. के. सिन्हा, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य **(2008) 2** एससीसी **492: [2008] 2** एस. सी. आर. **36;** रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट बनाम.

गुजरात राज्य (2015) 6 एससीसी 439:[2015] 5 एससीआर

283; प्रमथ नाथ तालुका बनाम सरोज रंजन सरकार

ए. आई. आर **1962** एस. सी **876:[1962]** पूरक।एस. सी. आर. **297-**निर्भर।

डी.

जतिंदर सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर **(2001) 2** एससीसी

570 :[2001] 1 एस. सी. आर. 707; रणवीर सिंह बनाम राज्य

हरियाणा और एक अन्य **(2009) 9** एस. सी. सी. **642;** पूनम चंद जैन और एक अन्य बनाम फजरू **(2010) 2** एस. सी. सी. **631:[2010] 2** एस. सी. आर. **109;** समता नायडू और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य **(2020) 5** एस. सी. सी. **378:**

ई.

[2020] 2 एस. सी. आर. **1127-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[2008] 2 एससीआर **36**

पर भरोसा किया

पैरा **10**

[2015] 5 एससीआर **283**

पर भरोसा किया

पैरा **11**

[1962] पूरक।एससीआर **297**

पर भरोसा किया

पैरा **14**

[2001] 1 एससीआर **707**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

जी.

[2010] 2 एससीआर **109**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

[2020] 2 एससीआर **1127**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

एच.

क.

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 836-841।

2019 के सी. आर. एल. एम. सी. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12.08.2021 के निर्णय और आदेश से, 2020 के 205,1414,1409,2138,2136 और 2019 के 9115।

सह

विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2022 की संख्या 1487-1493 और 2023 की संख्या 3580-3586।

चंदर उदय सिंह, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रोमी चाको, रॉबिन वी. एस., सुदेश कुमार, ज्ञानंत सिंह, प्रताप शंकर, आसिफ अहमद, कुणाल सिन्हा, सार्थक शंकर, श्वेतांक शांतनु, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ग

जयदीप गुप्ता, जयंत मुथ राज, वरिष्ठ अधिवक्ता।, निशी राजन शोंकर, आलिम अनवर, श्रीमती अनु के जॉय, अब्दुल्ला नसीह वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, पी. एस. सुधीर, सुश्री मिरांडा सोलमन, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, अशोक बसोया, कुरीकोस वर्गीज, वी. श्यामोहन, सुश्री ऐश्वर्या हरिहरन, अक्षत गोगना, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, रागेंथ बसंत, सुश्री रश्मि नंदकुमार, सुश्री रूपाली लखोटिया, श्रीरंग वर्मा, अजय कृष्ण, पी. वी. दिनेश, जैमन एंड्रयूज, राहुल राज मिश्रा, बिनेश के., नरेश कुमार, अधिवक्ता।कार्यान्वयनकर्ता के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, न्या.

च

1. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दी गई छुट्टी। 2022 की संख्या 2849-2854।

2. ये सभी मामले सी. आर. एल. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 12.08.2021 आदेश से उत्पन्न हो रहे हैं। 2019 की एम. सी. संख्या 8936, सी. आर. एल. 2020 का एम. सी. सं. 205, सी. आर. एल. 2020 का एम. सी. सं. 1414, सी. आर. एल. 2020 का एम. सी. सं. 1409, सी. आर. एल. 2020 का एम. सी. सं. 2138, सी. आर. एल. 2020 का एम. सी. सं. 2136 और सी. आर. एल. 2019 का एमसी सं. 9115। 3.एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न छह अपीलों के समूह में। अपीलार्थी कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी (मूल अभियुक्त) द्वारा दायर सं. 2849-2854/2022, विवादित सामान्य आदेश दिनांक 12.08.2021 को पूरी तरह से एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दर्ज किया गया है। नं. 1487-1493/2022 ए दाखिल किया।

जी.

एच.

बाथेरी के एपार्ची (उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं) द्वारा, और थामारसेरी के कैथोलिक डायोसिस (उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं) द्वारा दायर एसएलपी डायरी संख्या 7364/2022 में, इस न्यायालय ने दिनांकित 14.02.2022 के आदेश के माध्यम से विवादित आदेश के पैराग्राफ 17 से 39 से संबंधित याचिकाकर्ताओं की शिकायतों के संबंध में उक्त याचिकाकर्ताओं को सीमित सीमा तक एसएलपी दायर करने की अनुमति दी थी।इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी-कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी द्वारा दायर अपीलों के तथ्यों पर सुविधा के लिए विचार किया जाता है।

4. संक्षेप में, अभिलेख से स्पष्ट तथ्य, जो वर्तमान अपीलों को जन्म देते हैं, वे हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) साइरो मालाबार चर्च, एक एपिस्कोपल संस्थान का नेतृत्व आर्चडीओसीज के बिशप, यानी अपीलार्थी-कार्डिनल मार जॉर्ज एलेनचेरी (इसके बाद 'अपीलार्थी-आर्कबिशप' के रूप में संदर्भित) करते हैं।उक्त आर्कबिशप ने सिरो मालाबार चर्च से संबंधित सभी आध्यात्मिक और लौकिक मामलों पर अधिकार होने का दावा करते हुए चर्च की कुछ अचल संपत्तियों को अलग कर दिया। वर्तमान प्रत्यर्थी नं। 2-श्री जोशी वर्गीज (मूल शिकायतकर्ता) ने रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य और विश्वासी होने का दावा करते हुए Cr.P.C की धारा 190 और 200 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। M.P.No। 16 जुलाई, 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, कक्कनाड (जिसे इसके बाद 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) के न्यायालय में तीन अभियुक्तों यानी (1) अपीलार्थी-आर्कबिशप, (2) रेव फादर। जोशी पुथुवा और (3) साजू वर्गीज ने आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 406,409,418,420,423,465,467,468 आर/डब्ल्यू 34 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया।

ग

डी.

ई.

च

(ii) शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता सेंट मैरी चर्च, पेरुम्बवूर का सदस्य है, जो एर्नाकुलम-अंगमाली के आर्चडीओसीज द्वारा प्रशासित चर्चों में से एक है।अपीलार्थी ने 29.05.2011 पर इसके प्रमुख आर्कबिशप के रूप में आर्चडीओसीज का कार्यभार संभाला और बाद में उन्हें 06.01.2012 पर सिरो मालाबार चर्च के कार्डिनल के रूप में नियुक्त किया गया।उक्त आर्चडीओसीज 338 चर्चों के अलावा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, मठों और अस्पतालों का प्रशासन कर रहा है।

जी.

एच.

यह।उक्त आर्चडीओसीज के पास चल और अचल दोनों तरह की करोड़ों रुपये की संपत्ति थी।आर्चडीओसीज के उपनियम जो आर्चडीओसीज की संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करते थे, उन्हें 29.07.2009 पर संशोधित किया गया था।

(iii) यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी-आर्कबिशप ने आरोपी नं. 2-रेव फादर। जोशी पुथुवा, जो उक्त आर्चडीओसीज के वित्तीय अधिकारी थे, ने 2012 से 2017 की अवधि के दौरान आर्चडीओसीज की कुछ अचल संपत्तियों का धोखाधड़ी से

निपटान किया और उन्हें आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने आरोपी नं. 3-साजू वर्गीज, जैसा कि शिकायत में वर्णित है।(iv) उक्त शिकायत में, शिकायतकर्ता का एक शपथ बयान Cr.P.C की धारा 202 को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया गया था क्योंकि अपीलार्थी और उक्त शिकायत में अन्य दो आरोपी ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे थे।शिकायत के समर्थन में एक और गवाह को भी तलब किया गया और उससे पूछताछ की गई।शिकायतकर्ता ने उक्त शिकायत के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे।

ग

डी.

ई.

(v) निचली अदालत ने 2 अप्रैल, 2019 के आदेश के माध्यम से शिकायत को फाइल पर लिया और आई. पी. सी. की धारा 409,418,420,465,467 और 468 के तहत अपराधों के संबंध में Cr.P.C की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया, हालांकि आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 406,423 और 34 के तहत अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ समन जारी किया।

च

5. शिकायतकर्ता-जोशी वर्गीज ने अपीलार्थी-आर्कबिशप और अन्य के खिलाफ इसी तरह की पांच अन्य शिकायतें भी दायर की हैं (2022 के एसएलपी (सिविल) Nos.2849-2854 में ए-4 से ए-9 का अनुलग्नक) जिसमें निचली अदालत ने अलग-अलग आदेश पारित करके समन जारी किया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

जी.

एच.

1021

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

क.

ग

6. अपीलार्थी-आर्कबिशप (अभियुक्त सं. 1) और उक्त साजू वर्गीज (अभियुक्त सं.3) निचली अदालत द्वारा Cr.M.P.No में पारित दिनांकित 02.04.2019 आदेश से व्यथित होना। 5003/2018 अधिमानित आपराधिक संशोधन आवेदन संख्या 20/2019 और 21/2019 क्रमशः सत्र न्यायालय, एर्नाकुलम प्रभाग (इसके बाद 'सत्र न्यायालय' के रूप में संदर्भित) के समक्ष।सत्र न्यायालय ने उक्त आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, दिनांकित 24.08.2019 आदेश के माध्यम से, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता-आर्कबिशप ने Crl.M.C. No.8936 2019 और Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य पांच याचिकाओं को प्राथमिकता दी। 3-साजू वर्गीज ने उच्च न्यायालय के समक्ष Crl.M.C.

No.9115/2019 भी दायर किया।उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त, 2021 के विवादित आदेश के माध्यम से सभी सातों Crl.M.Cs को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रतिवादी-राज्य सरकार को कुछ निर्देश भी दिए।इसके बाद उच्च न्यायालय ने अनुपालन रिपोर्ट के लिए 25.10.2021 पर मामलों को पोस्ट किया, और फिर समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित करके आगे के निर्देश दिए।उसी से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं द्वारा अपीलों के वर्तमान सेट दायर किए गए हैं जैसा कि यहाँ ऊपर कहा गया है।

डी.

ई.

च

जी.

7. अपीलार्थी-आर्कबिशप की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने निम्नलिखित चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें इन अपीलों में शामिल संपत्तियों का विवरण दिखाया गया है।

एच.

संपत्ति का विवरण

ग

डी.

ई.

च

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लूथरा के अनुसार, प्रतिवादी नं। 2-जोशी वर्गीज और अन्य लोगों ने भी अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई थीं।श्री लूथरा द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

(i) 03.01.2018:प्रत्यर्थी नं। 2 शिकायतकर्ता जोशी वर्गीज ने सीएमपी नं. 2/2018 ए के रूप में शिकायत दर्ज कराई थी।

एच.

1023

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, प्रथम श्रेणी।मरादु, अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत जांच की प्रार्थना करते हुए, आर्चडीओसीज से संबंधित भूमि के भूखंडों को बेचने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए।न्यायिक मजिस्ट्रेट, मरादु, एर्नाकुलम ने उक्त शिकायत में प्रक्रिया जारी करने से पहले प्रतिवादी नं. 2 गवाहों से पूछताछ करना।प्रत्यर्थी नं। 2 ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसने दिनांकित 22.02.2018 आदेश के माध्यम से उनकी याचिका को खारिज कर दिया।उक्त शिकायत को मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 30.09.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

ग

((ii) 12.01.2018:पॉलचन पुथुपारा नामक एक अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम की अदालत में याचिकाकर्ता और दो अन्य लोगों के खिलाफ आर्चडीओसीज से संबंधित भूमि के भूखंडों की बिक्री के संबंध में आपराधिक साजिश का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम ने दिनांकित 02.02.2018 आदेश के माध्यम से शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि शिकायतकर्ता व्यथित है, तो वह एक उचित नागरिक कार्रवाई का सहारा ले सकता है जो कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है।

डी.

(iii) 15.01.2018:एक शाइन वर्गीज ने पी. एस. एर्नाकुलम सेंट्रल के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जो कि एफ. आई. आर. संख्या 719/2018 थी, जिसमें इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसमें पुलिस ने एक समापन रिपोर्ट दायर की, हालांकि शिकायतकर्ता शाइन वर्गीज ने एक विरोध याचिका दायर की, जो संबंधित अदालत के समक्ष विचाराधीन है।

ई.

च

(iv) 18.03.2019:एक शिकायतकर्ता पप्पचन ने Cr.M.P.No होने की शिकायत दर्ज कराई। 820/2019 अपीलार्थी के खिलाफ-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कक्कनाड के न्यायालय में आर्कबिशप और अन्य।उक्त शिकायतकर्ता ने एर्नाकुलम पी. एस. के समक्ष 12.01.2019 पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की गई।अंततः एफ. आई. आर. सं. 818/2019 दर्ज की गई, हालाँकि जाँच अधिकारी ने उक्त शिकायत में एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जी.

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लूथरा द्वारा किए गए पहले और सबसे महत्वपूर्ण निवेदन को स्वीकार करते हुए कि अपीलार्थी के खिलाफ वर्तमान शिकायत न्यायालय द्वारा पहले की शिकायत को खारिज करने के बाद की गई है।

एच.

1024

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

मरादु, तथ्यों के उसी सेट पर, प्रतिवादी नं।2- शिकायतकर्ता रखरखाव योग्य नहीं था, यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी नं।2 पहले न होने की शिकायत दर्ज कराई थी।2/2018 जे. एम. एफ. सी., मरादु के न्यायालय में धारा 156 (3) और धारा 200 (आई. डी. 2) के तहत अपीलार्थी आर्कबिशप द्वारा आर्चडीओसीज से संबंधित संपत्तियों की धोखाधड़ी से बिक्री के संबंध में सामान्य आरोप लगाते हुए, जबकि तत्काल शिकायतें छह संख्या में प्रतिवादी नं.2- विचारण न्यायालय में शिकायतकर्ता कक्कनाड में विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की बिक्री के बारे में विशिष्ट विवरण दे रहा है। यह विवादित नहीं है कि शिकायत का संज्ञान लिए बिना मरादु में संबंधित अदालत द्वारा पहली शिकायत (सी. सी. संख्या 2/2018) को खारिज कर दिया गया था क्योंकि शिकायतकर्ता का वकील उपस्थित नहीं हुआ था, जबकि तत्काल शिकायतों में, निचली अदालत द्वारा समन जारी किया गया है, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 406,423 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया गया है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है।प्रत्यर्थी नं.2 उनके द्वारा दायर काउंटर में विशेष रूप से कहा गया है कि संपत्ति की पहली वस्तु के संबंध में, मरादु (एर्नाकुलम) की अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि कार्रवाई का कारण मरादु पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, जबकि अन्य संपत्तियों के संबंध में, जे. एम. एफ. सी., कक्कनाड की अदालत में सात शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में संपत्तियां स्थित थीं।यह ध्यान देने योग्य है कि मरादु में न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित या संज्ञान नहीं लिया गया था और इसके विपरीत, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 120 बी, 406,423 के तहत कथित अपराधों का संज्ञान लेते हुए, कक्कनाड में निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ समन जारी करने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था।

ग

डी.

ई.

च

10. यह नहीं कहा जा सकता है कि संज्ञान किसी अपराध के लिए लिया जाता है न कि अपराधी के लिए।इस प्रकार "संज्ञान लेना" वाक्यांश को Cr.PC में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, हालाँकि इस न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या "जागरूक होना" या "न्यायिक रूप से ध्यान देना" के रूप में की गई है।

एस. के. सिन्हा में, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम। वीडियोकॉन इंटरनेशनल

जी.

लिमिटेड और अन्य **1,** इस न्यायालय ने धारा **202 Cr.PC** के तहत जांच के दायरे को समझाते हुए निम्नानुसार टिप्पणी कीः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“19. संहिता में "संज्ञान" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है।लेकिन शब्द (संज्ञान) अनिश्चित महत्व का है।इसमें कुछ नहीं है।

1 (2008) 2 एससीसी 492 ए

एच.

1025

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

आपराधिक कानून में गूढ़ या रहस्यमय महत्व।इसका अर्थ केवल "जागरूक होना" है और जब इसका उपयोग किसी अदालत या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ "न्यायिक रूप से ध्यान देना" होता है।यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई अदालत या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है।

20. “संज्ञान लेने में किसी भी प्रकार की औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं है।यह तब होता है जब एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संदिग्ध अपराध पर अपना दिमाग लगाता है।आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले संज्ञान लिया जाता है।इस प्रकार संज्ञान लेना एक वैध परीक्षण आयोजित करने के लिए एक अनिवार्य या शर्त पूर्ववर्ती है।संज्ञान को अपराध के रूप में लिया जाता है न कि अपराधी के रूप में।मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने कब संज्ञान लिया है।

ग

डी.

21. संहिता का अध्याय XIV (धारा 190-199) "कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों" से संबंधित है।धारा 190 मजिस्ट्रेट को कुछ परिस्थितियों में अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है।इसकी उप-धारा (1) सामग्री है और इसे विस्तार से उद्धृत किया जा सकता हैः

ई.

“190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।—(1) विषय के अधीन

इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट और उप-धारा (2) के तहत इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है -

च

(क) तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं;

(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है।"

जी.

22. .....

23. इसके बाद अध्याय XVI (मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत) आता है।यह अध्याय मजिस्ट्रेट द्वारा अध्याय के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद ही लागू होगा।

एच.

XIV। धारा 204, जिसके तहत प्रक्रिया जारी की जा सकती है, एक अन्य सामग्री प्रावधान है जो निम्नानुसार हैः

“204. प्रक्रिया का मुद्दा।—(1) यदि मजिस्ट्रेट की राय में किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, और मामला ऐसा प्रतीत होता है -

(क) समन के मामले में, वह अभियुक्त की उपस्थिति के लिए अपना समन जारी करेगा, या

(ख) वारंट के मामले में, वह वारंट जारी कर सकता है, या, यदि वह उचित समझता है, तो समन जारी कर सकता है, ताकि अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने एक निश्चित समय पर लाया जा सके या पेश किया जा सके या (यदि उसकी स्वयं कोई अधिकारिता नहीं है) कोई अन्य मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता है।

ग

(2) जब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची दायर नहीं की जाती, तब तक उप-धारा (1) के तहत आरोपी के खिलाफ कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा।

(3) लिखित रूप में की गई शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में, उप-धारा के तहत जारी प्रत्येक समन या वारंट

डी.

(1) ऐसी शिकायत की एक प्रति साथ रखी जाएगी।

(4) जब कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा कोई प्रक्रिया-शुल्क या अन्य शुल्क देय होता है, तो शुल्क का भुगतान होने तक कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी और यदि इस तरह के शुल्क का भुगतान उचित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है।

ई.

(5) इस धारा की किसी भी बात से धारा 87 के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे।"

24. संहिता की उपरोक्त योजना से, हमारे निर्णय में, यह स्पष्ट है कि अध्याय XIV में वर्णित "कार्यवाही की शुरुआत", अध्याय XVI द्वारा कवर की गई "कार्यवाही की शुरुआत" से अलग है। कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए, कार्यवाहियों की शुरुआत होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, कार्यवाहियों की शुरुआत कार्यवाहियों के शुरू होने से पहले होनी चाहिए।अध्याय XIV के तहत कार्यवाही शुरू किए बिना, अध्याय XVI के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय, हमारे सुविचारित विचार में, अध्याय XIV के तहत कार्यवाही शुरू करने की तुलना अध्याय XVI के तहत कार्यवाही शुरू करने के साथ करने में सही नहीं था।

च

जी.

एच.

1027

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

क.

11. रामदेव खाद्य उत्पाद निजी बनाम गुजरात राज्य **2**

आई. डी. 1 की धारा 156 (3) और धारा 202 (1) में निहित प्रावधानों के बीच अंतर करते हुए, इस न्यायालय ने उक्त धाराओं की योजना की जांच की और विभिन्न पूर्व निर्णयों पर चर्चा करने के बाद निम्नानुसार निष्कर्ष निकालाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“38. देवरपल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी बनाम वी. नारायण

रेड्डी [(1976) 3 एससीसी 252:1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 380], नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम बरकारा अब्दुल अज़ीज़ [(2013) 2 एस. सी. सी. 488:(2013) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 731], माधव बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2013) 5 एस. सी. सी. 615:(2013) 4

एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 141], रमेशभाई पांडूराव हेडौ बनाम गुजरात राज्य

[(2010) 4 एससीसी 185:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 801], धारा 156 (3) और 202 की योजना पर चर्चा की गई है।यह देखा गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले धारा 156 (3) के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सकता है और यह धारा 156 से शुरू होने वाली और धारा 173 के तहत रिपोर्ट या आरोप पत्र के साथ समाप्त होने वाली जांच की अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए पुलिस को पूर्व-अनुस्मारक या सूचना देने की प्रकृति का था।दूसरी ओर, धारा 202 संज्ञान के बाद के चरण में लागू होती है और जांच का निर्देश यह तय करने के उद्देश्य से था कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।"

ग

डी.

12. जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, निर्विवाद रूप से हालांकि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने जे. एम. एफ. सी., मरादु की अदालत में पहली शिकायत दर्ज की थी, जिसमें Cr.PC की धारा 156 (3) और 202 के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, उक्त शिकायत पर आगे मुकदमा नहीं चलाया गया था।संबंधित अदालत ने धारा 156 (3) या Cr.PC की धारा 202 के तहत किसी भी जांच का निर्देश नहीं दिया था और उक्त शिकायत को आगे मुकदमा नहीं चलाने के लिए खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, कक्कनाड की निचली अदालत ने पिछली शिकायत को खारिज करने से पहले ही प्रतिवादी नं. 2-शिकायतकर्ता।

ई.

च

13. हालाँकि यह सच है कि प्रत्यर्थी नहीं। 2, तत्काल शिकायतों में विशेष रूप से आर्चडीओसीज से संबंधित संपत्तियों की कथित धोखाधड़ी बिक्री के संबंध में अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ दायर पिछली शिकायत के संबंध में पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा किया जाना चाहिए था, केवल ऐसे तथ्यों का खुलासा न करना, ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने का आधार नहीं होगा।

जी.

2 (2015) 6 एस. सी. सी. 439

एच.

आई. पी. सी. की धारा 120 बी, 406 और 423 के साथ 34 के तहत कथित अपराधों के बारे में। Cr.M.P. No.5003/2018 में पारित दिनांक 2.04.2019 के आदेश से, यह काफी स्पष्ट है कि निचली अदालत ने शिकायत में लगाए गए आरोपों और शिकायतकर्ता और एक गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, केवल उपरोक्त अपराधों के संबंध में संज्ञान लिया था और आई. पी. सी. की धारा 409,418,420,465,467 और 468 के तहत कथित अन्य अपराधों का संज्ञान नहीं लिया था, जो अपीलार्थी और अन्य लोगों को समन जारी करने से पहले निचली अदालत द्वारा विवेक के उचित अनुप्रयोग को दर्शाता है।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री लूथरा द्वारा की गई प्रस्तुति के संबंध में कि प्रतिवादी के कहने पर दूसरी शिकायत नं। 2 एक ही अभियुक्त के खिलाफ तथ्यों के एक ही सेट पर बनाए रखने योग्य नहीं था, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस संबंध में कानून काफी अच्छा है।

ग

1962 से स्थापित।प्रमथ नाथ तालुका बनाम सरोज के मामले में

रंजन सरकार 3, यह दूसरी शिकायत दर्ज करने के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत पिछली शिकायत को खारिज करने के बाद एक नई शिकायत पर विचार किया जा सकता है जब स्पष्ट त्रुटि या न्याय का स्पष्ट गर्भपात या जब नया सबूत सामने आ रहा हो।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, जैसे कि पिछला आदेश एक अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाही में दर्ज नहीं किए जा सकते थे।इसके पैरा 48 में की गई सटीक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः“48. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत "मजिस्ट्रेटों को शिकायतों" के विषय पर दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVI में विचार किया गया है।इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रावधान धारा 200,202 और 203 हैं।धारा 200 शिकायतकर्ताओं की जांच से संबंधित है और धारा 202,203 और 204 शिकायत को खारिज करने या प्रक्रिया जारी करने के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है।भादीलाल पांचाल बनाम दत्तात्रेय दुलाजी घा दिगांवकर [वादीलाल पांचाल बनाम दत्तात्रेय दुलाजी घा दिगांवकर, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1113 में धारा 202 और 203 का दायरा और विस्तार निर्धारित किया गया थाः1960 क्रि एल. जे. 1499]।

डी.

ई.

च

जी.

3 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 876 ए

एच.

1029

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

धारा 202 के तहत जांच का दायरा शिकायत की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक सीमित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं और धारा 203 यह निर्धारित करती है कि इस उद्देश्य के लिए किन सामग्रियों पर विचार किया जाना चाहिए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत मजिस्ट्रेट को जो निर्णय देना है, वह शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों और जांच या जांच, यदि कोई हो, के परिणाम पर आधारित होना चाहिए।उसे सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपना निर्णय लेना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।इसलिए यदि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत की गई जांच के दायरे के बारे में खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया है, और न्यायिक रूप से अपने सामने की सामग्री पर अपना दिमाग लगाया है और फिर अपना आदेश देने के लिए आगे बढ़ता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने गलत तरीके से काम किया है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश, हालांकि, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, उदाहरण के लिए, जहां पिछला आदेश एक अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते थे, पेश किए गए हैं।यह न्याय के हित में नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ उसके मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद निर्णय दिए जाने के बाद, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी शिकायत की जांच करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।अल्लाह डिट्ठा बनाम करम बख्श [अल्लाह डिट्ठा बनाम करम बख्श, 1930 एस. सी. सी. ऑनलाइन लाह 268:ए. आई. आर. 1930 लाह 879] आर. एन. चौबे बनाम पी. जैन [आर. एन. चौबे बनाम पी. जैन, 1948 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 85:ए. आई. आर. 1949 पैट 256]; हंसाबाई सयाजी पायागुडे बनाम आनंद गनुजी पायागुडे [हंसाबाई सयाजी पायागुडे बनाम आनंद गनुजी पायागुडे, 1949 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 99:ए. आई. आर. 1949 बम 384] और दोराईस्वामी अय्यर बनाम टी. सुब्रमण्य अय्यर [दोराईस्वामी अय्यर बनाम टी. सुब्रमण्य अय्यर, 1917 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 167:ए. आई. आर. 1918 मैड

484]एक नई शिकायत लाने के लिए नए तथ्यों को प्रस्तुत करने के संबंध में अपील के तहत निर्णय में विशेष पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार नहीं किया [हंसाबाई सयाजी पायागुडे बनाम आनंद गनुजी पायागुडे, 1949 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 99:ए. आई. आर. 1949 बम 384] या पटना उच्च न्यायालय [आर. एन. चौबे बनाम पी. जैन, 1948 एस. सी. सी. ऑनलाइन

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पैट 85:ए. आई. आर. 1949 पैट 256] ने उपरोक्त मामलों में क्वीन एम्प्रेस बनाम डोलेगोबिंद दास [क्वीन एम्प्रेस बनाम डोलेगोबिंद दास, 1900 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 229: में मैक्लीन, सी. जे. की राय को उद्धृत और अपनाया।आई. एल. आर. (1901) 28 कैल 211] की पुष्टि एक पूर्ण पीठ ने द्वारका नाथ मंडल बनाम बेनी माधब बनर्जी [द्वारका नाथ मंडल बनाम बेनी माधब बनर्जी, 1901 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 242:आई. एल. आर. (1901) 28 कैल 652]।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक नई शिकायत पर विचार किया जा सकता है जहां स्पष्ट त्रुटि है, या पिछले आदेश में न्याय का स्पष्ट गर्भपात है या जब नया सबूत सामने आ रहा है।"

15. प्रमथ नाथ तालुका **(**ऊपर**)** मामले में की गई उक्त टिप्पणियों को जतिंदर के मामले में बाद के विभिन्न फैसलों में दोहराया गया था।

ग

सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर **4,** रणवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में और अन्य **5,** पूनम चंद जैन के मामले में और

एक और बनाम फजरू **6,** और समता के मामले में नवीनतम निर्णय में भी

नायडू और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य **7.**

इस प्रकार, उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निचली अदालत ने प्रतिवादी शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायतों पर विचार करने में कोई त्रुटि की थी, जब उसके द्वारा दायर पिछली शिकायत दूसरी अदालत के समक्ष लंबित थी, और विशेष रूप से जब उक्त अदालत ने कथित अपराधों का संज्ञान लिए बिना गैर-अभियोजन के लिए उक्त पिछली शिकायत को खारिज कर दिया था।

डी.

ई.

16. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री लूथरा द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी और इसी तरह के आरोप लगाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर की गई इसी तरह की शिकायतें किसी भी तथ्य की नहीं पाई गईं। न्यायालय की राय में, उक्त निवेदन में शायद ही कोई सार है।इस तथ्य के अलावा कि उक्त शिकायतों में शिकायतकर्ताओं और अभियुक्तों के नाम अलग-अलग थे, यह पता लगाना मुश्किल है कि क्या अन्य सभी शिकायतें उन्हीं संपत्तियों से संबंधित थीं जिनके लिए वर्तमान शिकायतें दर्ज की गई हैं।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दूसरी शिकायतकर्ता शाइन वर्गीज द्वारा दायर शिकायतों में से एक में, हालांकि पुलिस द्वारा एक समापन रिपोर्ट दायर की गई थी, विरोध याचिका उक्त शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई है, और संबंधित निचली अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए फिर से खोल दिया है।

च

जी.

4 (2001) 2 एससीसी 570 5 (2009) 9 एससीसी 642 6 (2010) 2 एससीसी 631 7 (2020) 5 एससीसी 378
ए

एच.

1031

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

17. सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं में निचली अदालत द्वारा अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद समन जारी करने के उक्त आदेशों को भी बरकरार रखा था, जिसमें कथित अपराधों के तत्व भी शामिल थे जिनके लिए अपीलार्थी के खिलाफ समन जारी किए गए थे।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में Cr.P.C की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिकाओं में पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर भी विस्तार से चर्चा की है और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है।कथित अपराधों में अपीलार्थी की कथित संलिप्तता के संबंध में नीचे दिए गए तीन न्यायालयों द्वारा की गई उक्त टिप्पणियों और प्रथम दृष्टया दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए, यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

ग

18. इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर मामला है और इसलिए अभियुक्त को समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट शिकायत में लगाए गए आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए बाध्य है ताकि उसमें अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति को किसी भी तुच्छ शिकायत का सामना करने के लिए बुलाए जाने से रोका जा सके, फिर भी धारा 202 का एक उद्देश्य मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति या व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाना है जिसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।जिस तरह निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ परेशान करने वाली और तुच्छ शिकायतों पर अंकुश लगाना आवश्यक है, उसी तरह निष्पक्ष सुनवाई करने के बाद दोषियों को दंडित करना भी उतना ही आवश्यक है।तत्काल मामलों में, नीचे दिए गए तीनों न्यायालयों ने कथित अपराधों में अपीलार्थी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और इसलिए इस न्यायालय के लिए इसे दोहराना आवश्यक नहीं है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विचाराधीन शिकायतों के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, हम कथित अपराधों के लिए अपीलार्थी-आर्कबिशप के खिलाफ समन जारी करने वाले निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाते हैं।

डी.

ई.

च

19. जहाँ तक बाथेरी के एपार्ची द्वारा दायर 2022 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 1487-1493 और थामारसेरी के कैथोलिक डायोसिस द्वारा दायर 2022 की डायरी संख्या 7364 (जिसे इसके बाद 'याचिकाकर्ताओं' के रूप में संदर्भित किया गया है) का संबंध है, जैसा कि पहले कहा गया है, उक्त याचिकाकर्ताओं ने विवादित फैसले के पैरा 17 से 39 में उच्च न्यायालय

द्वारा दर्ज टिप्पणियों को इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं और अन्य डायोसिस के पीछे की गई थीं, और इस तरह की टिप्पणियों का पूरे राज्य में व्यापक प्रभाव था।उक्त याचिकाकर्ताओं के अनुसार विवादित फैसले में की गई ऐसी सामान्य टिप्पणियाँ सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च सहित कैथोलिक चर्चों की संपत्तियों से जुड़े निष्कर्षित लेनदेन को रद्द करने के बराबर हैं।

जी.

एच.

1032

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

20. इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री चंदर उदय सिंह ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ताओं का अपीलकर्ता-अभियुक्त आर्कबिशप से कोई लेना-देना नहीं है, हालांकि, उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दायर धारा 482 Cr.P.C के तहत कार्यवाही में प्रभावित पक्षों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना कैथोलिक चर्च की आध्यात्मिक, चर्च संबंधी और लौकिक शक्तियों को परिभाषित, निर्णय और घोषित किया है, जो कानूनी रूप से अनुमत नहीं है।श्री चंदर उदय सिंह ने 2019 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 4567 (अनु कुमार बनाम) से उत्पन्न आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन) और एक अन्य) अपनी इस दलील को साबित करने के लिए कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता था जो कार्यवाही में तीसरे पक्ष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

ग

21. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश, विशेष रूप से पैरा 17 से 39 में की गई टिप्पणियों को देखने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रथम दृष्टया टिप्पणियां पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के जवाब में की गई थीं, जो चर्चों के लौकिक और आध्यात्मिक मामलों के संबंध में आर्चडीओसीज के आर्कबिशप की शक्तियों और अधिकार के संबंध में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हैं।बेशक, कुछ अवलोकन सर्वव्यापी और सामान्य प्रकृति के हैं, लेकिन वे केवल प्रथम दृष्टया अपीलार्थी-आर्कबिशप द्वारा Cr.PC की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं में विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों के कारण, उक्त टिप्पणियों के साथ कोई अंतिमता नहीं जोड़ी जा सकती है।इसलिए, मामले को आगे बढ़ाए बिना और विवादित आदेश के पैरा 17 से 39 में की गई उक्त प्रथम दृष्टया टिप्पणियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम निर्देश देना उचित समझते हैं, और तदनुसार निचली अदालत को प्रतिवादी सं. 2 अपीलार्थी के विरुद्ध-आर्कबिशप और अन्य, विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्त टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार और यह कि उक्त याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे उन उपायों का सहारा लें जो कानूनी रूप से अनुमत हो सकते हैं, यदि उक्त टिप्पणियों से चर्चों द्वारा पहले से किए गए लेनदेन में कोई जटिलता पैदा होती है, जिनके लिए उक्त याचिकाकर्ता प्रतिनिधित्व करते हैं।

डी.

ई.

च

जी.

22. उक्त याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर किसी अन्य और आगे की सामग्री के अभाव में, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, बाथेरी के याचिकाकर्ता एपार्ची और थामारसेरी के कैथोलिक डायोसिस द्वारा दायर उक्त एसएलपी पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, विशेष रूप से जब ए

एच.

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

उक्त याचिकाकर्ता उनके साथ हो रहे गंभीर अन्याय का कोई मामला बनाने में विफल रहे हैं।जैसा कि पहले कहा गया है, उक्त टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में पक्षों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों के जवाब में की गई हैं, और उक्त टिप्पणियां प्रकृति में प्रथम दृष्टया होने के कारण, कोई अंतिमता उनसे जुड़ी नहीं हो सकती है।

23. यह कहने के बाद, हम अपीलार्थी द्वारा धारा 482 Cr.PC के तहत दायर याचिकाओं को खारिज करने वाले विवादित आदेश को पारित करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों पर कुछ कहने के लिए विवश हैं।उच्च न्यायालय ने आर्चडीओसीज से संबंधित संपत्तियों को धोखाधड़ी से बेचने के लिए अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से की गई आपराधिक साजिश के बारे में विवादित आदेश में अपने निष्कर्ष दर्ज करने के बाद, अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा संपत्तियों के संबंध में निष्पादित निपटान विलेख के संबंध में संदेह उठाकर याचिकाओं का दायरा और बढ़ा दिया कि क्या उक्त निपटान विलेख किसी सरकारी भूमि या सामंती भूमि के संबंध में था।उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-आर्कबिशप द्वारा Cr.PC की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को आगे निम्नानुसार निर्देश दियाः- “इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि सरकार अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से मामले की जांच करेगी ताकि यह संतुष्ट किया जा सके कि क्या वर्ष 2007 का निपटान विलेख किसी सरकारी भूमि या पोरमबोके भूमि के संबंध में निष्पादित किया गया था, और क्या यह किसी भी समय सरकारी भूमि या पोरमबोके भूमि थी और संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई थी, जो भूमि संरक्षण अधिनियम सहित कानून के प्रावधानों से बाध्य हैं, जिसके लिए नागरिक और आपराधिक कानूनों में पर्याप्त जानकारी रखने वाले अधिकारियों की एक टीम का चयन करना होगा।"

ग

डी.

ई.

च

24. उच्च न्यायालय उपरोक्त निर्देश देने से नहीं रुका, बल्कि रोस्टर बदलने के बाद भी बाद के आदेश पारित करता रहा। अपीलार्थी की ओर से वर्तमान अपीलों में दायर किए गए आई. ए. No.106695/2022 आवेदन से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में संबंधित न्यायाधीश ने विवादित आदेश में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए मामले को अपने पास बरकरार रखा, और उसके बाद 08.02.2022 के आदेश के माध्यम से रजिस्ट्री को मुख्य case-Crl.M.C में एक अतिरिक्त पक्ष के रूप में भारत संघ को शामिल करने का निर्देश दिया।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

एच.

“6. चूंकि धर्म या दान की आड़ में काम करने वाले असंबद्ध संगठन की कानूनी स्थिति को संबोधित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है, इसलिए उस मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुनना आवश्यक है।

7. सरकारी संपत्तियों/सार्वजनिक संपत्तियों, पुरम्बोक भूमि का दुरुपयोग चिंता का विषय बन गया है और जब यह धार्मिक निकायों या सामूहिक संस्थानों द्वारा किया जाता है, तो इसे सक्षम अदालत के समक्ष चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, खासकर जब ऐसे निकाय विधानसभा और संसद के सदस्यों के चुनाव में निर्णायक कारक होते हैं।यही कारण हो सकता है कि धार्मिक और धर्मार्थ गैर-निगमित निकायों के कहने पर सरकारी भूमि, सार्वजनिक संपत्ति और पुरम्बोक भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है।यह एक ऐसा मामला भी है जिस पर इस अदालत द्वारा न्यायिक रूप से ध्यान दिया जा सकता है।मुझे डर है कि पुरम्बोक भूमि के इस तरह के दुरुपयोग और अतिक्रमण से ठीक से निपटा नहीं जा रहा है।आवश्यक रूप से, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए सार्वजनिक मामलों, जांच आदि से निपटने वाली अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समान केंद्रीय स्तर पर एक अलग सरकारी एजेंसी होनी चाहिए।

ग

डी.

8. रजिस्ट्री को भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को मुख्य case-Crl.M.C.No.8936/2019 में एक अतिरिक्त पक्ष के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया जाता है ताकि इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए जा सकें और एक केंद्रीय एजेंसी के गठन के अलावा उपरोक्त मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाया जा सके।9. जाँच करने वाला अधिकारी इस न्यायालय द्वारा उठाए गए और निर्देशित सभी मुद्दों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।03/03/2022 पर कॉल करें "

ई.

च

25. इसके बाद 03.03.2022 पर, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

“भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बावजूद राज्य द्वारा कोई दूसरी रिपोर्ट या अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।इसलिए, संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और यह कारण दिखाने का निर्देश दिया जाएगा कि इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया है।ऐसी परिस्थितियों में, केंद्रीय जांच ब्यूरो को मुख्य ए में एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल करना आवश्यक है।

जी.

एच.

1035

कार्डिनल मार जॉर्ज एलेन्चेरी बनाम केरल और ए. एन. आर. राज्य। [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

मामला।रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व उसके निदेशक, नई दिल्ली द्वारा अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में करे।रजिस्ट्री को सूचना के लिए भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल को दिनांकित 08.02.2022 के आदेश के साथ दिनांकित 12.08.2021 के फैसले की एक प्रति भेजने का भी निर्देश दिया जाएगा।21.03.2022 पर कॉल करें।"

26. पुनः 10.06.2022 पर, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था -

“केंद्र सरकार और भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल को निर्देश लेने के लिए कई नियुक्तियां दी गई हैं।सहायक सॉलिसिटर जनरल की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस तरह, एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाएगा कि क्या वे वास्तव में मामले में रुचि रखते हैं या नहीं।राज्य सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 296 के संदर्भ में इस मुद्दे का समाधान करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।अंतिम अवसर के रूप में,

23-06-2022 पर पोस्ट करें।"27. पूर्व-वर्णित आदेशों से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-आर्कबिशप द्वारा अनुच्छेद 482 के तहत दायर याचिकाओं को खारिज करने के बाद, राज्य सरकार को अपीलार्थी द्वारा बेची गई कुछ संपत्तियों के संबंध में बिक्री विलेख और निपटान विलेख के निष्पादन के संबंध में विस्तृत जांच करने और यह पता लगाने का निर्देश देते हुए कि क्या उक्त संपत्तियां सरकार की थीं या पोरमबोके भूमि थीं, और क्या उक्त निपटान विलेख सरकारी भूमि पर स्वामित्व के दस्तावेज में हेरफेर करने के उद्देश्य से बनाया गया था।इसके बाद भी, संबंधित न्यायाधीश ने रोस्टर बदलने के बाद भी मामलों को अपने पास बनाए रखा, और उन मुद्दों पर एक के बाद एक आदेश पारित करना जारी रखा जो न तो धारा 482 के तहत मुख्य याचिकाओं का विषय थे और न ही पक्षकारों के लिए संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई थी।संबंधित न्यायाधीश ने राज्य सरकार से धर्म या दान की आड़ में काम करने वाले असंबद्ध संगठन की कानूनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का आह्वान और सलाह देकर अपनी पूर्ण-सलाहकार की भूमिका भी निभाई। राज्य द्वारा दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर, उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया, और रजिस्ट्री को मुख्य मामले में एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में सी. बी. आई. को शामिल करने का निर्देश दिया, हालांकि इसका पहले ही निपटारा कर दिया गया था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

28. उच्च न्यायालय ने अपने अति उत्साही दृष्टिकोण में न केवल भारत के संविधान की धारा 482 और अनुच्छेद 226 के दायरे और दायरे से परे यात्रा की थी, बल्कि वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने की आड़ में ऐसे आदेश पारित करके न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम की सभी सीमाओं को पार कर दिया था।

29. हमारी राय में, पर्याप्त न्याय करने के लिए न्यायशास्त्र के उत्साह और विवेक को अदालतों द्वारा अनुमेय सीमाओं के भीतर लागू किया जाना चाहिए।न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की आत्म-धार्मिकता या धृष्टता के विश्वास से अन्य प्राधिकरणों को अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने से डरना नहीं चाहिए।हमें उच्च न्यायालयों को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि न्यायिक संयम एक सद्गुण है, और व्यक्तिगत न्यायाधीशों की प्राथमिकताओं को, चाहे उनका इरादा कितना भी अच्छा हो, कानून के समान अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अनुचित न्यायिक सक्रियता न केवल अधिकारियों के मन में बल्कि वादियों के मन में भी अनिश्चितता या भ्रम पैदा कर सकती है।

ग

डी.

30. मामले के उस दृष्टिकोण में, दिनांक 1 के विवादित आदेश के पारित होने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी बाद के आदेश, अनुचित होने के कारण रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं, और तदनुसार रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं।

31. उपरोक्त परिसर में और पूर्व-वर्णित टिप्पणियों/निर्देशों के अधीन, अपीलार्थी-आर्कबिशप द्वारा दायर आपराधिक अपील, और बाथेरी के एपार्ची और थामारसेरी के कैथोलिक डायोसिस द्वारा दायर सभी एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है।

ई.

अंकित ज्ञान

मामलों का निपटारा किया गया।

च

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

जी.

एच.